

ज्यादातर उपरकाट अविधवा शरणगठ

पितामिठळिकाठि: सापेरा खोनी RAS
 इपीन मुब 5/2014

न्येहनराम देवक पुत्र स्व. सुरनाराम जाति जाट निवासी
 मालामा तहसील शरणगठ

बनाम इपीनांठ

- | | |
|--|---|
| 1. धनाराय |] पि स्व. श्यामराम जाति जाट अंडा
निवासीगण मालामा तहसील शरणगठ |
| 2. चिमनाम | |
| 3. मोहनी | |
| 4. तुलसीदेवी पत्नी स्व. मालाराम जाति जाट अंडा
निवासीनी मालामा तहसील शरणगठ | |
| 5. उरील |] पि स्व. मालाराम जाति जाट
अंडा निवासीगण मालामा तहसील
शरणगठ |
| 6. अजानाराम | |
| 7. कमला | |
| 8. तुलाचाम | |
| 9. सुलखे | |
| 10. ज्यानखी पत्नी पुनाराम जाति जाट अंडा
निवासीनी मालामा तहसील शरणगठ | |
| 11. उंगी |] पि स्व. पुनाराम जाति जाट अंडा
निवासीगण मालामा तहसील शरणगठ |
| 12. संतोप | |
| 13. सावित्री | |
| 14. नेमीचंद | |
| 15. मोहनराम |] पि स्व. हमाराम आरा मोहरी देवी
जाति जाट (निवासीगण) मोहता तहसील
शरणगठ जिला अंडा |
| 16. मजाराय | |
| 17. रंजित राम | |
| 18. तुलाराम | |



अ. ल. अ. अधिकारी
 शरणगठ (चूस)

- 19 गंगीराम] पि ल निवाराणाम काण्ड (कवि)
- 20 सुती] जाति जाट (न्याय) संवत् 1958 (शुक्रवार) वर्ष साधारण
- 21 बाल्यराम] पि जाम्बराम काण्ड (कवि)
- 22 आहरराम] जाति जाट निवाराणाम काण्ड (कवि)
- 23 पुरुराम] वस्त्र साधारण (शुक्रवार)
- 24 बेरा
- 25 सोना
- 26 सनी

27 जीराम अजानाम जाट नि अजाना
वस्त्र साधारण (शुक्रवार)

28 हेराम] पि अजानाम जाट नि अजाना
29 सुरेश] वस्त्र साधारण (शुक्रवार)

30 रोशनी]

31 माली देवी पत्नी इन्द्रराम जाति जाट निवारी
वस्त्र साधारण (शुक्रवार)

32 अंबरलाल पुत्र इन्द्रराम जाति जाट निवारी
वस्त्र साधारण (शुक्रवार)

33 सोना देवी पुत्री इन्द्रराम पुत्र अंबरलाल जाति
जाट निवारी वीराम वस्त्र साधारण (शुक्रवार)



अपीन आदेश प्राम पंचांग में
दिनांक 19-6-1958 एतत् 75 पलका
म 1958

उपस्थित
1. श्री कृष्णमोहन चारण 13
2. श्री गणेशचंद्र 13
3. श्री रामनाथ सिंह 13

— मिति
ब. क. अ. वि. वि.
समस्त (पुरु)

निर्णय

करीब अर्धशताब्दी से कौर से हपीन पेश हुई की जाय मालाम की शोरी के वर्तमान स्वामय नम्बर 305 गदाही 27 बीजा 13 बिखा स्व स्वामय नम्बर 311 गदाही 61 बीजा 01 बिखा कुल 89 बीजा भूमि में से 66 बीजा 15 बिखा भूमि अर्धशताब्दी के दलक पिला स्व सुरदाम अज किशोराम जाति जाट स्मरण के नाम से खारेजा में दर्ज थी। स्व सुरदाम साहब ने भूख हपीनाट को जोद ल लिखा था, जिसका जोदनाम दिनांक 19-9-1968 मिहि कासोड वही 14 अगस्त 2025 को स्व सुरदाम ने निष्पादित करवा दिया था जोर उस जोदनाम का उप पंजीमक फादरिब्य रहनगड में पंजीकृत की जाया था। भूख जोदनाम हपीनाट के पास है स्व सुरदाम का जिस दिन देहान्त हुआ उस दिन हपीनाट उसका देहड का भोजुद था जोर उपम हपीनाट का पारिस होने के कारण स्व सुरदाम साहब की समस्त सम्पत्ति का करिस व इतरा लिखा लि जाया इन्फि स्व सुरदाम के नाम की खारेजा भूमि का विशाल नामान्तराज भूख हपीनाट के नाम दर्ज होना चाहिये था इन्फि आदेश कलिनम्य आशान्य हर उका से निरम फिये जान कोउय है।



गोपनी
 अ लक्ष अधिकारी
 स्वामय (वसु)

अपीन दर्ज रजिस्ट्रार कर इम्पोजेशन में
 नोटिफ जारी किए जाने इम्पोजेशन संख्या 2, 4,
 6, 8, 10, 11, 12, 15 व 18 में नोटिफ जारी अर्थात्
 नती इन्फ इनके अंतर्गत इन्फ इन्फ इन्फ इन्फ इन्फ
 की जारी इम्पोजेशन संख्या 31, 32, 33 में जो
 में ही रोहितपुर में व व व व व व व व व व व व व व व व
 इम्पोजेशन संख्या 5 नोटिफ जारी के बावजूद अर्थात्
 जारी हुआ।

बहादुरशुनी जमीन का पञ्चावली का अन्वेषण
 मिता जमीन का पञ्चावली में पेश दस्तावेजों का
 अन्वेषण (मिदा जमीन) नामांकन संख्या 183 रोली
 मालादाव खण नम्बर 305, 311 में अन्वेषण के संकथ
 में है जिसमें सुरदास कन्ड मिशन का 1335 हिन्दा
 खण्ड खण्ड रति था अन्वेषण नामांकन सुरदास की
 मालादाव के बाद निरामल सुरदास के नाम
 होना जमीन सुरदास के पतिमान के नाम
 से दर्ज मिदा जमीन है जमीन सुरदास के
 अन्वेषण जोदनाम दिनांक 7-1-1969 में जमीन
 पतिमान सुरदास के नामांकन में अन्वेषण
 लम्बा था जो जोद ले जमीन का इन्फ
 सुरदास के नाम सुरदास का लम्बा अन्वेषण
 अन्वेषण के पतिमान के नाम नामांकन दर्ज



अधिकारी
 (धर)

कायम संगत नहीं है कपीनांठ ने पहले जानकारी
 नहीं होना प देरी को माफ करने बावत था। एकदि
 कछिदिम का डांपडा व राफत परा वेश मित्रे हो
 जिमका कोई खबरत व फकाफ उल्लुह नहीं हुआ है तथा
 नामान्तराणा को देखने से की कपीनांठ को
 कोई सुनवाई का नोटिस व क्वारा दिया
 गया है। यह जाकि नहीं होता है तभी लिखलि
 में था। एकदि कछिदिम का डांपडा सीमा
 मित्र जाते है तथा कपीनांठ जम खेरी का वारिद
 व पुत्र होने से सुखनाम की मराइ में
 बाद नामान्तराणा अपने नाम से दर्ज किया
 जाना चाहिए जो नहीं किया गया है इतदि
 कपीनांठ सीमा मित्र जान योग्य है

आदेश

कार। कपीनांठ का उल्लुह कपीनांठ सीमा
 मित्र जाते है पर नामान्तराणा संख्या 183 पंडित
 आदेश दिनांक 15-6-1989 कोपाम् दिया जाते है
 तथा पदमाणा की पुन। सुनवाई का नामान्तराणा
 दर्ज करी।

निर्णय का दिनांक 21-8-2019 को सुन
 न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
 रतनगढ़ (बूरा)